REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2018

भारतीय और वैश्विक संदर्भ में मानवाधिकार

डॉ. अशोक वसंतराव मर्डे
अध्यक्ष हिंदी विभाग ,
यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय तुलजापुर जि. उस्मानाबाद.

प्रस्तावना :

भारतीय संविधान में भारतियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कहा गया है। हजारों सालों में भारत में रही समाज एवं जाति व्यवस्था को भंग करने का काम भारतिय संविधान ने किया है। सभी को समान अधिकार देकर और उनके अधिकारों की रक्षा के माध्यम समानता को कायम रखा गया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों के बारे में कहा गया है। कानून के सामने सब समान है। अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार प्रदेश, धर्म जाति, वंश लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेद नही होगा। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक की सामाजिक न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदाप करते है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरूध्द धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद नही करेगा।[1]

भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार दिए गये है। अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। 'भारत के संविधान में जिन मूल अधिकारों की घोषणा की गई है उनमें से लगभग 24 अनुच्छेद मानवाधिकारों से सम्बन्धित है। भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधन है जिसमें मूलाधिकार के संदर्भ में विशुध्द एवं व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। मूलाधिकारो के इस भाग को भारतीयों की स्वतंत्रताओं का महान अधिकारपत्र कहा गया है। पं जवाहरलाल नेहरू ने नागरिकों के मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा था। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को बचाने का जो आश्वासन दिया गया है वह मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निहित है।'[2]

गरीमापूर्ण जीवन के साथ साथ व्यक्ति की कुछ आवश्यकतायें भी अनिवार्य है। इन आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण है मजदूरों और उनके स्वास्थ्य, मजदूर औरतें और बच्चों के शाषण के विरूध्द संरक्षण का माहौल बनाना। समान शिक्षा तथा मातृत्व संबेधि सुविधा प्रदान करना। स्वतंत्र भारत में संविधान लागू हुआमूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी मिली लेकिन वास्तविकता यह है कि मानवअधिकारों के प्रति सजग होते हुए भी कार्यक्षेत्र में होनेवाला अपना शोषण चुपचाप सहते रहते है। मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के तहत कौनसे अधिकार समाहित है। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है।

मानव अधिकारों के संदर्भ में हमारे संविधान ने अनेक कायदे कानून बनाये है। जिसके माध्यम से भारतीय जनमानस की रक्षा हो सके। विश्व के अनेक देशों ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बाद अपने अपने देशों में इन अधिकारों को स्वीकार किया। भारतीय संविधान में भी इन अधिकारों का समावेश हुआ है। भारतीय संविधान के अधिकारों को देखे तो वे अधिकार मानव अधिकारों का ही दूसरा रूप कहे जा सकते है। वे इसप्रकार बताये जा सकते है।

1. मानव अधिकार का अनुच्छेद 2 और हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 दोनों ही जाति, रंग, भाषा, धर्म, राजनीति आदि में भेद किए बिना सभी व्यक्तियों को सभी अधिकार और स्वतंत्रता की समानता के पक्षधर है।
2. मानव अधिकार का अनुच्छेद 18 और हमारे सविधान का अनुच्छेद 25 दोनों ही व्यवसाय और धर्म आदि की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं।
3. मानव अधिकारों का अनुच्छेद 27 और हमारे संविधान का अनुच्छेद 29–1 दोनों ही भाषा और संस्कृति के संरक्षण के पक्ष में हैं।
4. मानव अधिकार का अनुच्छेद 25 और हमारे संविधान का अनुच्छेद 45 दोनों ही प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के पक्षधर है।

वैश्विक संदर्भ में मानवाधिकार

अमरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने संदेश में मानव अधिकार इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होने 4 प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की थी उनमें 1. वाक् स्वातंत्र्य 2. धर्म स्वातंत्र्य 3. गरीबी से मुक्ति 4. भय से स्वातंत्र्य आदि प्रमुख है। इस घोषणा में कहा गया था, 'स्वातंत्र्य से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्ही को है, जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिए संघर्ष करते हैं।' उसके पश्चात् अटालांटिक चार्टर में मानव अधिकार शब्द का उल्लेख हुआ।

दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई। अतः मनुष्य के जीवन यापन एवं विकास के लिए मूलभूत अधिकारों (सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। '27 जनवरी 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या के लिए एक आयेग गठित किया और उसकी सिफारिशों के सार्वभौम घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघके सभी सदस्यों ने 10 दिसंबर 1948 का दिन विश्वनानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। (वीरेंद्र योदव 154)

मानव अधिकारों के पद का सर्वप्रथम उल्लेख अमरिका के राष्ट्रप्रति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 में कांग्रेस को सम्बोधित अपने संदेश में किया। जिसमें उन्होंने 4 बातों की ओर संकेत करते हुए स्वतंत्रता का उल्लेख किया। 1. वाक स्वातंत्र्य 2. धर्म स्वातंत्र्य 3 गरीबी से मुक्ति 4. भय से स्वातंत्र्य

मानवाधिकार पद का प्रयोग इसके बाद अटलांटिक चार्टर में किया गया । संयुक्त चार्टर मे यह घोषणा की गई कि संयुक्त राष्ट्रका उददेश्य मूल अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुनः अभिपुष्ट करना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1में संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन के बारे में बताया है, ''मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृध्दि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना''[3]

मानवाधिकारों की अतर्राष्ट्रीय घोषणा के तहत निम्न अधिकार समाहित है। –

1. वाक स्वतंत्रता का अधिकार
2. न्यायिक उपचार का अधिकार
3. सरकार की भागीदारी का अधिकार
4. काम का अधिकार
5. स्तरीय जीवन जीने का अधिकार
6. आराम एवं सुविधापूर्ण जीवन जीने का अधिकार
7. शिक्षा का अधिकार
8. समान काम के लिए समान वेतन
9. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
10. वैज्ञानिक प्रगति में भाग एवं उसके लाभ लेने का अधिकार
11. जीवन सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार
12. विवेक विचार तथा धार्मिकता का अधिकार
13. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायिक सुनवायी का अधिकार

14. शांतिपूर्ण सभा संगोष्ठि करने तथा संघ बनाने का अधिकार

साहित्य और मानव का अटूट नाता होता है। जब तक साहित्य मानवीय संवेदनाओं से जुड नही जाता तब तक साहित्य की महत्ता बेकार है। मनुष्य जीवन का इतिहास काफी पुराना है। मनुष्य की उत्क्रांति में अनेक बदलाव हुए। मनुष्य का विकास दिन ब दिन होता गया। इसलिए आदिमानव और आज के मानव में काफी अंतर आ गया है। तब हर जीव में ताकत की भाषा थी लेकिन अब अधिकारों की भाषा है। पृथ्वीवर जीनेवाले हर जीव का अपना अधिकार है। चाहे वह गरीब हो अमीर हो। ताकतवर हो या कमजोर सभी को कायदे कानून से समान ही अधिकार प्राप्त हुए है।

एक मानव जब दूसरें मानव पर अन्याय अत्याचार करता है। तब उसके बचाव में मानवीय अधिकारों की बात होती है। विश्व में अनेक जगहों पर मानवों मानवों के बीच अधिकारों को लेकर संघर्ष होते रहे है। सबल निर्बल पर अधिकार जमाता है। लेकिन आधुनिक युग में और खासकर मानवाधिकार के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। वह अपनी मर्जी से समाज में जी सकता है। उसे धार्मिक, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र जीने के अधिकार बहाल हुए है।

समाज में कई घटक है जिनका शोषण हो रहा है। समाज का हर वर्ग अधिकारों एवं शोषण से मुक्त रहे इसलिए मानव अधिकारों का समर्थन किया जाता है। गरीब, असहाय, महिला, दलित, बालक, वृध्द, निराधार आदि का हर जगह शोषण होता है और वे अपने अधिकारों से विमुख रह जाते है। सभी को समान अधिकार और समान न्याय मिले इसलिए मानव अधिकार से जुडी बातों पर गौर करना जरूरी है।

संदर्भ संकेत :

1. डॉ. बैरागी विनोद नारायणदास, मानवअधिकार सिध्दांत एवं व्यवहार, फलैप से
2. सिंह डी. पी., मानवाधिकार और दलित, पृ. 39
3. डॉ. बैरागी विनोद नारायणदास, मानवअधिकार सिध्दांत एवं व्यवहार, पृ. 4